न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.

प्रकरण सं.:–281/2023

वादपत्र अर्न्तगत धारा:– 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बलकरणसिंह पुत्र तेजासिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

–वादी

बनाम

1. तेजासिंह पुत्र चन्दसिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. सुखप्रितकौर पत्नी जगरूपसिंह | पुत्रिया तेजासिंह जाति जटसिख सकनाए लींलावाली
3. गुरप्रितकौर पत्नी नायबसिंह | तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया

–प्रतिवादीगण

उपस्थित:–

1. श्री रामनिवास बेदी एड. – वादी
2. श्री संजीव बिश्नोई एड.– प्रति.सं. 1 से 3

दिनांक– 7.7.2023

निर्णय

वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि कि चक 16 एम.के.एस. जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वन्त 2070 से 2073 खाता सं. 86/77 के कुल सांझा खाता 0.872 है. में से 95/218 हिस्सा व इसी चक 16 एम.के.एस. का खाता सं. 88/16 का एकल खाता 1.354 है. का व इसी चक 16 एम.के.एस. का खाता सं. 89/63 का एकल खाता 0.316 है. मुझ वादी के पिता तेजासिंह पुत्र चन्दसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित जमाबन्दी संलग्न वादपत्र है। कि वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित पैतृक व पैतृक कृषि भूमि की कमाई से खरीद की गयी कृषि भूमि को लेकर वादी का प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के मध्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विरचित प्रावधानो के तहत रास्ता खाला व अच्छी मन्दी भूमि को लेकर ब्राहमी घरा घरू बंटवारानामा हो चुका है। घरा घरू बंटवारानामा में वादी बलकरणसिंह के हिस्सा में चक 16 एम.के. एस. के खाता सं. 86/77 में दर्ज 95/218 है. हिस्सा व चक 16 एम.के.एस. के खाता सं. 88/16 में दर्ज 1.354 है. हिस्सा व इसी चक 16 एम.के.एस. के खाता सं. 89/63 में दर्ज 0.316 है. हिस्सा कृषि भूमि आयी है। व बहन प्रतिवादी सं. 2 सुखप्रितकौर व प्रतिवादी 3 गुरप्रितकौर ने अपने अपने विरास्तन हक व हिस्से का परित्याग अपने सगे भाई वादी बलकरणसिंह के पक्ष में कर दिया है वो अब वादभूमि में कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहती है। तथा प्रतिवादी सं. 1 तेजासिंह ने अपने हक व हिस्सा में चक 15 एम.के.एस. के खाता सं. 37/26, 55/34, 56/35, 110/72 में दर्ज कृषि भूमि अपने हक व हिस्सा में रख ली है। घरा घरू बंटवारानामा के रोज से वादी की घरू बंटवारा में मिली भूमि पर शान्ती पूर्वक कब्जा काश्त है। कब्जा काश्त को लेकर आज वादी व प्रतिवादीगण के बीच कोई विवाद नही है। घरा घरू बंटवारानामा अनुसार वादभूमि का वादी कब्जा काश्त मुताबिक खातेदार काश्तकार कहलाने का अधिकारी एंव दावेदार है। कि घरा घरू बंटवारानामा अनुसार वादभूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण बिना वजह सिंव बट रकमराज आबयाना इत्यादि को लेकर विवाद रहता है। जबकि वादी घरा घरू बंटवारानामा अनुसार वादभूमि का विरास्तन खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी एंव दावेदार है।

कि गत सप्ताह वादी ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वो वादभूमि में घरू घरू बंटवारानामा अनुसार मुझ वादी को वादभूमि का खातेदार काश्तकार मानकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा देवे। तो वो पहले तो आजकल आजकल करते रहे परन्तु कल ऐसा करने से स्पष्ट ईन्कार हो गये। बस यही वादकारण है।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जाकर पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादीगण नियत की गयी। दिनांक 21.06.2023 को प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री संजीव बिश्नोई द्वारा हाजिर आकर वकालतनामा पेश किया गया। व वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 ने राजीनामा प्रार्थना पत्र अं. आदेश 23 नियम 3 सी.पी.सी. के तहत पेश किया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। जबाव स्टेट पेश हुआ। वादीगण के वाद का कोई विरोध पत्रावली पर नही आने के कारण विवाद्यक बिन्दु कायम नही किये गये जाकर साक्ष्य वादी करवाये गये। साक्ष्य वादी में वादी बलकरणसिंह ने अपनी साक्ष्य में शपथ पत्र अं. आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया गया। जिसने अपने ब्यान हल्फनामा में अपने वादपत्र के साथ पेश जमाबन्दीयो को प्रदर्शित करवाया। जो प्रदर्श 1 से 7 व विरासतन ईन्तकाल प्रदर्श 8 व 9 है। राजीनामा प्रदर्श 10 है तथा ओर साक्ष्य वादीगण व प्रतिवादीगण नही करवाना चाहते है साक्ष्य बन्द की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

बहस उभय पक्ष सुनी गई वादीगण व प्रतिवादीगण के अभिभाषक ने मुताबिक राजीनामा वादपत्र डिक्री किये जाने का कथन अपनी बहस में किया।

हमारे द्वारा उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया व वादीगण की ओर से पेश राजस्व रिर्कार्ड जमाबन्दीयो व विरास्तन ईन्तकाल तथा ब्यान गवाह बलकरणसिंह की साक्ष्य व राजीनामा आदि का अवलोकन करने से वादी का वाद राजीनामा मुताबिक पूर्ण रूप से सिद्व है। इसलिए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित प्रतित होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी का वादपत्र राजीनामा मुताबिक डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है। कि चक 16 एम. के.एस. के खाता सं. 86/77, 88/16 व 89/63 में प्रतिवादी सं. 1 तेजासिंह पुत्र चन्दसिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त खातो से तेजासिंह पुत्र चन्दसिंह का नाम कलनजन कर समस्त हिस्सा वादी बलकरणसिंह के नाम दर्ज किया जावे । इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 7-7-2023 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/7/23

(रमेशदेव)

सहायक कलैक्टर एवं. उपखण्ड अधिकारी,

संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – सहायक कलैक्टर एवं. उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
बईजलास – रमेश देव (आर.ए.एस.)

बलकरणसिंह पुत्र तेजासिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ । ।

–वादी

बनाम

1. तेजासिंह पुत्र चन्दसिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. सुखप्रितकौर पत्नी जगरूपसिंह | पुत्रिया तेजासिंह जाति जटसिख सकनाए लींलावाली
3. गुरप्रितकौर पत्नी नायबसिंह | तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा हक — मुकदमा संख्या 281/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री रामनिवास बेदी एड. मिन जामिन मुदई श्री संजीव बिश्नोई एड.मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

अतः वादी का वादपत्र डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि चक 16 एम.के.एस. के खाता सं. 86/77 , 88/16 व 89/63 में प्रतिवादी सं. 1 तेजासिंह पुत्र चन्दसिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त खातो से प्रतिवादी सं. 1 तेजासिंह पुत्र चन्दसिंह का नाम कलमजन कर समस्त हिस्सा वादी बलकरणसिंह के नाम दर्ज किया जावे । उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

नोटः– संबधित बैंक का ऋण चुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

निज....X....मुब्लिक ......X बाबत ....X खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयाबी तक .....X..... को अदा करे।

बसब्त मेरे दरतख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक को जारी किया गया।

6/7/23

(रमेश देव)

सहायक कलैक्टर एवं. उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया